

नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो अशोक तिवारी
 दिनांक/ वर्तमान धारित पद डी.एस.पी.
18-11-1959
 अगली वेतन वृद्धि की तारीख 1-7-18

क्र.सं.	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया..... खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिसमें अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गंगानगर कोलेनी निवासी गंगा नवलपुर तलाक		40-50 लेख	पति के नाम	पिता द्वारा बलीयत -		
2	बखामनगर निवासी करगोवालोनी तलाक		15-20 अरब	मेरे स्वयं के नाम	पैत्रिक विरासत -	75,000 रु	
3	ग्राम सुदिवाक वैत्रिक P.S. डेवरगुला कृषि भूमि हाथसिने	कृषि भूमि	30, लाख	मेरे स्वयं के नाम	पैत्रिक विरासत -	31 लाख	

- जहाँ लागू न हो उसे काट दीजिए
 - ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 - इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण)नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माह की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके टपने नाम पर या उसके किसी परिवार के सदस्य के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर.....
 नाम अशोक तिवारी
 पद उप पुलिस अधीक्षक
 विभाग 500A मिहोर